



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 06]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

**फा. सं. इफ्रा/पीएनजीआरबी/टी4एस/पी एण्ड पीपीपीएल/04/2016.**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006,(2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2016 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2016 की अनुसूची-I में,-

- (i) खंड 3.5.7.4 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-  
 “3.5.7.4 पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में उपयोग किए जा रहे सभी स्टड, बोल्टस और पेंच एएसटीएम ए194 / ए193 के अनुरूप होने चाहिए।”;
- (ii) खंड 3.7.1.2 को हटा दिया जाएगा;
- (iii) खण्ड 4.10.1.2 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-  
 “4.10.1.2 कोई भी वेल्डिंग( टाई-इन, मुख्य लाइन वाल्व्स, गर्म दोहन और एपुर्टेंसिज की स्थापना ) और / या पाइपलाइनों की यांत्रिकी हैंडलिंग की अनुमति दबाव परीक्षण के बाद दी जाती है। इन वेल्ड्स की अखण्डता एपीआई -1104 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।”;
- (iv) खण्ड 4.10.2.1 (iv) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-  
 “ 4.10.2.1 (iv) मुख्य लाइन वाल्व के साथ शाखा पाइप की स्थापना से पूर्व दबाव जांच की जानी चाहिए।”;
- (v) खण्ड 6.12.1.5 (ii) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-  
 “6.12.1.5 (ii) आंतरिक दबाव की समाविष्टि हेतु पूर्ण गोलाकार वेल्डिंग से स्प्लीट स्लीव्स या रिसाव क्लैम्प लगाया जाना चाहिए और इसका डिजाइन दबाव अधिकतम अनुमेय प्रचालन दबाव से कम नहीं होना चाहिए। यह दोनों सर्कमफेरेंशियली और लॉंगिट्युडनली पूर्णतः वेल्ड होनी चाहिए। ये सुधार एएसएमइ 31.4 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के सदृश्य होंगे।”;
- (vi) खण्ड 7.9.3 को खण्ड 7.9.2.1 के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा;
- (vii) खण्ड 7.9.4 को खण्ड 7.9.2.2 के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा. /377/18]

**पाद टिप्पणी:** मुख्य विनियम सा.का.नि. इंफ्रा / पीएनजीआरबी / टी4एस / पी एण्ड पीपीपीएल / 01 / 2014 दिनांक 12.02.2016 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2017

**F. No. INFRA/PNGRB/T4S/P&PPPL/04/2016.**—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Product Pipelines) Regulations, 2016, namely:-

**1. Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Product Pipelines) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Product Pipelines) Regulations, 2016, -**

(i) Clause 3.5.7.4 shall be substituted, namely :-

“All stud, bolts and nuts used in petroleum and petroleum products pipelines should be as per ASTM A 194 / A193.”;

(ii) Clause 3.7.1.2 shall be omitted;

(iii) Clause 4.10.1.2 shall be substituted, namely :-

“No welding (other than welds required for tie-in, installation of mainline valves, hot tapping and appurtenances) and/or mechanical handling of pipelines is permitted after pressure testing. The integrity of these welds shall meet the requirements as specified in API-1104.”;

(iv) Clause 4.10.2.1 (iv) shall be substituted, namely :-

“Mainline valves along with branch pipe should be pressure tested before installation.”;

(v) Clause 6.12.1.5 (ii) shall be substituted, namely :-

“By installing full encirclement welded split sleeves or leak clamps to contain internal pressure and shall have a design pressure of not less than the maximum allowable operating pressure. This shall be fully welded both circumferentially and longitudinally. These repairs shall conform to the requirements as specified in ASME 31.4.”;

(vi) Clause 7.9.3 shall be renumbered as Clause 7.9.2.1

(vii) Clause 7.9.4 shall be renumbered as Clause 7.9.2.2.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./377/18]

**Foot Note:** Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. Infra/T4S/P&PPPL/01/2014., dated 12.02.2016.